न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या –200/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00366

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज गोपी धाकड़ निवासी मदनपुरा तहसील रामगंजमण्डी
2. हनी बाई पत्नि राधेश्याम धाकड़ निवासी मदनपुरा तहसील रामगंजमण्डी

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण

उपस्थित–

1. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभषक
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक –25/08/2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, रामगंजमण्डी (भूमिधारी) ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी राधेश्याम आत्मज गोपी एवं हनी बाई पत्नि राधेश्याम जाति धाकड़ निवासी मदनपुरा को ग्राम काल्याखेड़ी की आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 0.43 हे0, वर्ष 2010 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गयी थी । अप्रार्थी वर्तमान में राजस्व रेकार्ड अनुसार गैर खातेदार दर्ज है तथा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अप्रार्थी आवंटित भूमि पर का कब्जा नहीं है । आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवंटन की शर्तो का पालन नहीं करने से उक्त आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अप्रार्थी के विरूद्व आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर आवंटन निरस्त फरमावें ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक उपस्थित । अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । राजकीय अभिभाषक एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराया ।

4. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि आराजी ख0नं0 आराजी ख0नं0 5 रकबा 0.43 हे0 वाके ग्राम काल्याखेडी पटवार हल्का मदनपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में स्थित है । उक्त आराजी अप्रार्थीगण को नियमानुसार भूमि आवंटित की जाकर इन्तकाल नं0 320 दिनांक 1.8.2011 से अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज कर कब्जा आराजी पर दिया गया है वक्त आवंटन से अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये है । अप्रार्थीगंण द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण पालना की गई है । इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अप्रार्थीगण के साथ अन्य व्यक्तियों को भी जमीन आवंटत की थी जिनको खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है । अप्रार्थीगण ग्रामीण परीवेश के होने तथा अनपढ होने से कानूनी प्रावधानों की जानकारी नहीं रखने के कारण खातेदारी की कार्यवाही कर सकें । कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार दिये जाने की अवधि व्यतीत हो गई है । इसलिये अप्रार्थीगण कानूनीरूप से उक्त आराजी के खातेदार हो गये है । ऐसी स्थिति में भी उक्त प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है । वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त RRT 2018 (2) 1007 State of rajasthan V/S Shankarlal Ors एवं D.b. CIVILWRITE PETITION NO 948/1986 Pat Ram and Ors V/S State of Rajasthan and Ors प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित कराया ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि अप्रार्थी आवंटी आवंटित भूमि पर काबिज काश्त है तथा आवंटित भूमि पर काश्त भी नियमित की जा रही है । नियमानुसार आवंटन के 03 वर्ष पश्चात कब्जा काश्त होने पर आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है इस प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRT 2018 (2) 1007 State of rajasthan V/S Shankarlal Ors एवं D.b. CIVILWRITE PETITION NO 948/1986 Pat Ram and Ors V/S State of Rajasthan and Ors से हम सहमत है । आवंटित भूमि पर यदि आवंटी नियमित 3 वर्ष तक काश्त करता है तो वह खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, किन्तु आवंटन के पश्चात तीन वर्ष तक कब्जा काश्त नहीं करता है तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न खसरा गिरदावरी की नकलों अनुसार संवत 2073, 2075 एवं 76 में कब्जा क़ाश्त होना जाहिर होता है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार का प्रार्थना पत्र में आवंटी अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने का तथ्य साबित नही होने से यह प्रकरण नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त योग्य नहीं पाते है, किन्तु उक्त आवंटन में आवंटन से 03 वर्ष तक आवंटी द्वारा कब्जा काश्त की है अथवा नहीं तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त है अथवा नहीं आदि तथ्यों की जांच कर कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

6. परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर **ग्राम रूपपुरा** की आराजी **खसरा नम्बर 5 रकबा 0.43 हे0,** का **दिनांक 25.11.2010 को अप्रार्थीगण राधेश्याम आत्मज गोपी धाकड़ एवं हनी बाई पत्नि राधेश्याम धाकड़ निवासी मदनपुरा** के हक में किया गया आवंटन आदेश यथावत रखते हुए प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवंटी के द्वारा आवंटन के पश्चात शुरूआती तीन वर्ष में कब्जा काश्त की है अथवा नहीं ? तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त की जांच करते हुए कब्जा काश्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें । निर्णय की प्रति मय तलविदा रेकार्ड वापस लौटाया जावें ।

7. निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर
कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा